

38/2023

29/5/2024

पत्रावली फाइल नं० वकील श्री प्रहलाद
 वकील श्री धर व प्रहलाद धर सांगनेर
 द्वारा अगत कारवाया अथवा नैतिक उभय
 इजराज फायदा की पालना की जा
 सकी है अतः इजराज फायदे की
 कार्यवाही शेष की जाती है पत्रावली
 प्रोसेस शुमार डीम इन गठ से कार्य
 वाद समाप्त शिबिर एफर है।

उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर द्वितीय (सांगनेर)